

अध्यक्ष-काउंसिलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

ऑनलाइन ऑफ-कैम्पस काउंसिलिंग कार्यक्रम, सत्र 2011-12

**डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक अर्हता में न्यूनतम अंकों के बंधन में
शिथिलता**

पीपीटी/नॉन पीपीटी/बाबा साहेब अंबेडकर व एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश नियमों में प्रवेश के लिए पूर्व में निर्धारित अर्हताओं में अंकों की बाध्यता अनारक्षित श्रेणी के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत {मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत} थी।

प्रवेश नियमों में उल्लेखित उक्त अंकों की बाध्यता को शिथिल करते हुए सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के न्यूनतम 35 प्रतिशत निर्धारित किये जाते हैं। तदनुसार सभी पात्र अभ्यर्थी वर्तमान में आयोजित हो रही काउंसिलिंग तथा आगामी काउंसिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं।

भोपाल, दिनांक 28/07/2011

अध्यक्ष-काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश